न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :—302 / 2019—20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

श्रीमती गंगिया लिण्डा — विक्रेता

श्रीमती निर्मला तिग्गा — क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
18.02.20	**आदेश**	

आवेदक श्रीमती गंगिया लिण्डा पति धरमु लिण्डा ग्राम—कालामाटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने श्रीमती निर्मला तिग्गा पति लिबिन तिग्गा ग्राम—कालामाटी, थाना—खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
कालामाटी	216	54	1561	0.24½

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0038860334 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 141 दिनांक 14.02.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0— 1185 दिनांक 04.12.12 द्वारा क्रय किया है। पंजी II के अनुसार पाण्डु मुण्डा वै0 के नाम भूमि का रकवा 0.24½ एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 0.24½ एकड़ भूमि के अलावे अन्य खाता सं0 54 रकबा 4.78 एकड़ भूमि कुल रकबा 5.02½ एकड़ भुमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019—20 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 9790.00(नौ हजार सात सौ नब्बे)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.78 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्रीमती गंगिया लिण्डा पति धरमु लिण्डा को श्रीमती निर्मला तिग्गा पति लिबिन तिग्गा के साथ ग्राम कालामाटी के खाता सं0 54 खेसरा संख्या 1561 कुल रकबा 0.24½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 9790.00(नौ हजार सात सौ नब्बे)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

18/02/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

18/02/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।